

प्रेस नोट

थाना चिरगाँव, जनपद झाँसी

दिनांक 30.01.2026

- झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही
- अवैध खनन के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार,
- गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के कुशल मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 30.01.2026 को 1-मु0अ0सं0 13/26 धारा 191 (2)/191(3)/105/238/127(2) बीएनएस 2-मु0अ0सं0 17/26 धारा 303(2) बीएनएस व 3 (1)/58/72 (1) उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021 व धारा 4/21 खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 व 2/3 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवरण अधिनियम 1984 में वांछित अभियुक्त मोहर सिंह पुत्र स्व० शिरोमन सिंह निवासी ग्राम मुराठा थाना चिरगाँव जिला झाँसी उम्र करीब 35 वर्ष को मुखबिर की सूचना पर मिश्रा ढाबा के आगे बायीं तरफ महेबा खेड़ा की तरफ जाने वाली सड़क पर बनी पुलिया के से गिरफ्तार करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 13/26 धारा 191 (2) /191(3)/105/238/127(2) बीएनएस

2-मु0अ0सं0 17/26 धारा 303(2) बीएनएस व 3(1)/58/72(1) उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021 व धारा 4/21 खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 व 2/3 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवरण अधिनियम 1984

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता- मोहर सिंह पुत्र स्व० शिरोमन सिंह निवासी ग्राम मुराठा थाना चिरगाँव जिला झाँसी उम्र करीब 35 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली थाना पुलिस टीम -

उ0नि0 मुनीन्द्र मिश्र

उ0नि0 रामप्रकाश पटेल

हे0का0 426 मो0 उवैश अहमद खाँ

हे0का0 471 योगेन्द्र सिंह

का0 188 राहुल सोगरवाल